न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12/160/2024 रजू दिनांकः 22.11.2024 रजि0 न0 2024/273

अपीलार्थीः—	प्रत्यर्थीः—
श्री लालाराम सैनी पुत्र स्व0 श्री सुन्दरलाल सैनी, मौहल्ला अखैपुरा, राजपूत छात्रावास के पीछे अलवर, जिला अलवर पिनकोड 301001 (राजस्थान)	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर, जिला अलवर(राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

——:: निर्णय ::——

दिनांकः— 09.12.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 18.10.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 09.12.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2024/2271 दिनांक 28.11.2024 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपील प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा सूचना आवेदन दिनांक 18.10..2024 के परिपेक्ष्य में इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर संबंधित अनुभाग से सूचना प्राप्त कर, अभिलेख पर उपलब्ध/संधारित 02 पृष्ठीय सूचना, कार्यालय के पत्र सं. लो.सू.अ./RTI/2024/2088 दिनांक 05.11.2024 के माध्यम से विनिश्चय कर 02 पृष्ठीय सूचना को संसूचित किया जा चुका है, जो कि अपीलार्थी को तामील भी हो चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को संबंधित अनुभाग से सूचना प्राप्त कर, अभिलेख पर उपलब्ध/संधारित 02 पृष्ठीय सूचना, प्रत्यर्थी कार्यालय के पत्रांक लो.सू.अ./RTI/2024/2088 दिनांक 05.11.2024 के माध्यम से विनिश्चय कर 02 पृष्ठीय सूचना को संसूचित किया जा चुका है, तथापि प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम अपील के संबंध में जरिये प्रतिलिपि क्रमांक 2272 दिनांक 28.11.2024 के द्वारा उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में विनिश्चय कर सूचना पुनः प्रेषित की जा चुकि है। अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक **09.12.2024** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)

जिला कलक्टर अलवर (राज0)